रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 16, 2010/माघ 27, 1931

No. 325] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 16, 2009/MAGHA 27, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2010

सं. 31/2009-2014

विषय : अग्रिम प्राधिकार-पत्र योजना के तहत मूल्य संवर्धन से संबंधित पैराग्राफ 4.1.6 में संशोधन

का. आ. 385 (अ) .—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. पैराग्राफ 4.1.6 के प्रथम वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

"अग्रिम प्राधिकार पत्र के अनुसार प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के परिशिष्ट 11ख में विनिर्दिष्ट मदों के अलावा न्यूनतम मूल्य संवर्धन 15 प्रतिशत होगा और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में मदों के लिए, जिनके लिए मूल्य संवर्धन प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैराग्राफ 4क 2.1 के अनुसार होगा ।"

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

[फा.सं. 01/94/180/ वि.व्या. नी. /09-10/एए/ए एम10/पीसी-4]

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन विशेष सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2010

No. 31/2009-2014

Subject : Amendment in paragraph 4.1.6 related to Value Addition under Advance Authorisation Scheme.

S. O. 385 (E) .—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Para 1.3 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2009-2014, the Central Government hereby makes the following amendment in Foreign Trade Policy :—

1. The first sentence of Paragraph 4.1.6 stands amended as follows:

" Advance Authorisation necessitates exports with a minimum value addition of 15%, except for items specified in Appendix 11B of HBP v 1 and for items in Gems & Jewellery Sector, for which value addition would be as per paragraph 4A. 2.1 of HBP Vol. 1."

2. This issues in public interest.

[F. No. 01/94/180/FTP/ 09-10/ AA/AM/PC-4]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade & ex-officio Spl. Secy.

619 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.